

प्रेस नोट

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के आदेशानुसार श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय (दक्षिणी) व क्षेत्राधिकारी महोदय बांसगाँव के निर्देशन में उ०नि० सी०बी० पाण्डेय मय हमराह का० पवन कुमार के मु०अ०सं० 263/19 धारा 394 411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त की तलाश हेतु क्षेत्र में मामूर होकर पानी टंकी हरैया के पास मौजूद था कि जरिये मुखबीर सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त का वांछित अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र घुरहू प्रसाद निवासी कोठा थाना खजनी जनपद गोरखपुर उम्र करीब 40 वर्ष आ रहा है, मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर आ रहे व्यक्ति राकेश कुमार उपरोक्त को आवश्यक बल का प्रयोग करते हुये समय 10.50 बजे पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु मा० न्यायालय रवाना किया जा रहा है ।

अभियुक्त का नाम:-

राकेश कुमार पुत्र घुरहू प्रसाद निवासी कोठा थाना खजनी जनपद गोरखपुर ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 263/19 धारा 394, 411 भादवि
2. मु०अ०सं० 265/19 धारा 8/21/22 भादवि

गिरफ्तार करने का स्थान व दिनांक

पानी की टंकी के पास हरैया थान-बेलीपार, जनपद गोरखपुर । दिनांक 08.08.2019

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- उ०नि० सी०बी० पाण्डेय थाना बेलीपार, गोरखपुर ।
- 2- का० पवन कुमार थाना बेलीपार, गोरखपुर ।

प्रेस नोट

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के आदेशानुसार श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय (दक्षिणी) व क्षेत्राधिकारी महोदय बांसगाँव के निर्देशन में उ०नि० श्रीभागवत चौधरी मय हमराहियान उ०नि० विरेन्द्र यादव व का० परशुराम मिश्रा, का० अजीत कुमार सिंह, का० विरेन्द्र कुमार के साथ देखभाल क्षेत्र, रात्रि गश्त, रोकथाम जुर्म जरायम, अवैध शराब निष्कर्षण, जांच प्रा०पत्र, पेडिंग विवेचना में मामूर थे कि जरिए मुखबीर खास सूचना मिली की मु०अ०सं० 272/19 धारा 420, 353, 504, 506 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त अजय यादव पुत्र स्व० रामानन्द यादव साकिन निबरहर, थाना सहजनवाँ जनपद गोरखपुर बाघागाड़ा फोरलेन के अण्डर पास खड़ा है, कहीं जाने की फिराक में है, जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर उ०नि० मय हमराहियान मय मुखबीर बाघागाड़ा फोरलेन अण्डरपास आया तो मुखबीर ने दूर से ही इशारा करके हट बढ़ गया। हम पुलिस वालों को देखकर अभियुक्त हड़बड़ा कर भागने लगा कि हम पुलिस वालों द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए तत्परता से घेर कर अभियुक्त को समय करीब 12.10 बजे पकड़ लिया गया। जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु मा० न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम:-

अजय यादव पुत्र स्व० रामानन्द यादव साकिन निबरहर, थाना सहजनवाँ जनपद गोरखपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 1029/16 धारा 147 406 323 504 506 भादवि थाना-खोराबार गोरखपुर।
2. मु०अ०सं० 2750/17 धारा 419 420 406 504 506 भादवि थाना खलिलाबाद संतकबीर नगर।
3. मु०अ०सं० 116/18 धारा 307 भादवि थाना सहजनवाँ, गोरखपुर।
4. मु०अ०सं० 272/19 धारा 420, 353, 504, 506 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम थाना-बेलीपार, गोरखपुर।

गिरफ्तार करने का स्थान व दिनांक

फोरलेन अण्डरपास बाघागाड़ा थान-बेलीपार, जनपद गोरखपुर। दिनांक 08.08.2019

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री भागवत चौधरी थाना-बेलीपार, गोरखपुर।
2. उ०नि० विरेन्द्र यादव थाना-बेलीपार, गोरखपुर।
3. का० परशुराम मिश्रा थाना बेलीपार, गोरखपुर।
4. का० अजीत कुमार सिंह थाना – बेलीपार, गोरखपुर।
5. का० विरेन्द्र कुमार थाना- बेलीपार, गोरखपुर।